

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संख्या-05/स्था0 (DTO)-30/2018 (छाया संचिका) /जिला पदाधिकारी,  
सीतामढ़ी के अनुशंसा के आलोक में श्री बृज किशोर पाण्डेय, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन),  
सीतामढ़ी को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यों के  
निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण  
अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री बृज किशोर पाण्डेय को जिला परिवहन  
पदाधिकारी, सीतामढ़ी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कृत्यानंद रंजन)

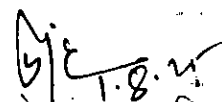
सरकार के संयुक्त सचिव

निबंधित/ई-मेल

ज्ञापांक:-05/स्था0 (DTO)-30/2018 (छाया संचिका) 6217 /पटना, दिनांक 01/8/2025

प्रतिलिपि- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट  
कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगमी असाधारण  
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग)  
विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त  
सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संयुक्त आयुक्त-सह-  
सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,  
पटना/श्री बृज किशोर पाण्डेय, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी,  
जिला कोषागार, सीतामढ़ी/जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग  
के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त  
सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, सीतामढ़ी/प्रवर्तन अवर निरीक्षक,  
सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक-F, एन0आई0सी0 (NIC), बिहार,  
पटना से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना में अंकित श्री बृज किशोर पाण्डेय, अपर समाहर्ता,  
सीतामढ़ी को जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्य हेतु वाहन/सारथी कार्य के लिए  
User ID/Password निर्गत करने की कृपा की जाय।

  
सरकार के संयुक्त सचिव